(5)

संख्या बी—3—4086/दस—94-20 (24)/92

प्रेषक,

श्री एस०ए०टी० रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष,
जिला जज तथा जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांकः 31 अक्टूबर, 1994

विषयः— राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/ विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में माफ किया जाना।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—3

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम, वाहन अग्रिम तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उनकी सेवा-निवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित की जाती है। कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया अत्यन्त दयनीय हो जाती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की अवशेष धनराशि को ब्याज सहित माफ किये जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

2— अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं बशर्ते अग्रिम के मूलधन की समस्त अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित कर ली गई हो।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर ब्याज की गणना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक ही की जाये।

4— ऐसे प्रकरणों, जिनमें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिमों पर देय ब्याज की वसूली हो गई हो, को उपर्युक्त निर्णय के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु रि—ओपेन नहीं किया जायेगा। लेकिन जिन प्रकरणों में ब्याज की देय धनराशि अभी वसूल नहीं हुई है, उनका निस्तारण इस निर्णय के अन्तर्गत किया जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में ब्याज की आंशिक रूप से वसूली कर ली गई हो उनमें केवल वसूली हेतु अवशेष ब्याज की धनराशि ही माफ की जायेगी।

5— शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम के ऐसे प्रकरण, जो उक्त निर्णय से आच्छादित होते हों, में मूलधन की अवशेष धनराशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करके देय ब्याज की धनराशि की गणना की पुष्टि महालेखाकार से कराने के उपरान्त ब्याज माफी का अधिकार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रतिनिहित कर दिया जाये। अतः मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ब्याज माफी के आदेश अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किये जायेंगे। पारित आदेशों की एक-एक प्रति महालेखाकार तथा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। आदेश में अन्य सामान्य बातों के अलावा अग्रिम के पूर्ण विवरण यथा-स्वीकृति आदेश संख्या, स्वीकृत धनराशि, किस्तों के अवमुक्त करने की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

6— प्रत्येक वर्ष के अन्त में शासन को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराई जायेगी कि आलोच्य वर्ष में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की ब्याज के मद में देय कुल कितनी धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत माफ की गई। यह सूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 15 तारीख तक शासन के वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

7— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मोटर वाहन/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों पर भी देय ब्याज की गणना मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी परन्तु मृत्यु की तिथि तक देय ब्याज की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

8— वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग -1 के संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

एस०ए०टी० रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

(5)

संख्या बी—3—4086/दस—94-20 (24)/92

प्रेषक,

श्री एस०ए०टी० रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष,
जिला जज तथा जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांकः 31 अक्टूबर, 1994

विषयः— राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/ विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में माफ किया जाना।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—3

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम, वाहन अग्रिम तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जिसकी नियमानुसार ब्याज सहित वसूली उनकी सेवा-निवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित की जाती है। कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया अत्यन्त दयनीय हो जाती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की अवशेष धनराशि को ब्याज सहित माफ किये जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

2— अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सेवाकाल में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं बशर्ते अग्रिम के मूलधन की समस्त अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित कर ली गई हो।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर ब्याज की गणना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक ही की जाये।

4— ऐसे प्रकरणों, जिनमें भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिमों पर देय ब्याज की वसूली हो गई हो, को उपर्युक्त निर्णय के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु रि—ओपेन नहीं किया जायेगा। लेकिन जिन प्रकरणों में ब्याज की देय धनराशि अभी वसूल नहीं हुई है, उनका निस्तारण इस निर्णय के अन्तर्गत किया जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में ब्याज की आंशिक रूप से वसूली कर ली गई हो उनमें केवल वसूली हेतु अवशेष ब्याज की धनराशि ही माफ की जायेगी।

5— शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम के ऐसे प्रकरण, जो उक्त निर्णय से आच्छादित होते हों, में मूलधन की अवशेष धनराशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करके देय ब्याज की धनराशि की गणना की पुष्टि महालेखाकार से कराने के उपरान्त ब्याज माफी का अधिकार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रतिनिहित कर दिया जाये। अतः मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ब्याज माफी के आदेश अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किये जायेंगे। पारित आदेशों की एक-एक प्रति महालेखाकार तथा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। आदेश में अन्य सामान्य बातों के अलावा अग्रिम के पूर्ण विवरण यथा-स्वीकृति आदेश संख्या, स्वीकृत धनराशि, किस्तों के अवमुक्त करने की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

6— प्रत्येक वर्ष के अन्त में शासन को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराई जायेगी कि आलोच्य वर्ष में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की ब्याज के मद में देय कुल कितनी धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत माफ की गई। यह सूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 15 तारीख तक शासन के वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

7— इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मोटर वाहन/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों पर भी देय ब्याज की गणना मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी परन्तु मृत्यु की तिथि तक देय ब्याज की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

8— वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग -1 के संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

एस०ए०टी० रिजवी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या बी—3—4086 (1)/ दस-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. विधान सभा/विधान परिषद् /राज्यपाल सचिवालय।
4. निबन्धक, उच्च-न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त (लेखा) अनुभाग -1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु।
6. वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियों में)।

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश वैरिया,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी-116 सा० वित्त—8-11-94—(2409) 12,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)